



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2469]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2012/अग्रहायण 30, 1934

No. 2469]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2012/AGRAHAYANA 30, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2977(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खण्ड (39) के अनुसरण में भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 21 दिसम्बर, 1989 को प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1060(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि 22 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“23. एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड।”

[फा. सं. 3/2/2012-सीएल-V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. सा.का.नि. 1060 (अ) तारीख 21 दिसम्बर, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित की गई थी:—

1. का.आ. 406(अ), तारीख 24 मई, 1990;
2. का.आ. 343(अ), तारीख 31 मई, 1993;
3. का.आ. 174(अ), तारीख 15 फरवरी, 1994; और
4. का.आ. 638(अ), तारीख 14 जुलाई, 1995।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2012

S.O. 2977(E).—In pursuance of clause (39) of Section 2 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Company Affairs), number G.S.R. 1060 (E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated 21st December, 1989, namely :—

In the said notification, after entry 22, the following entry shall be inserted, namely :—

“23. MCX Stock Exchange Limited.”

[F. No. 3/2/2012-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1060(E), dated 21st December, 1989 and subsequently amended vide the following notifications :—

1. S.O. 406(E), dated the 24th May, 1990;
2. S.O. 343(E), dated the 31st May, 1993;
3. S.O. 174(E), dated the 15th February, 1994; and
4. S.O. 638(E), dated the 14th July, 1995.